

संख्या-1801 /एक-10-2022-33(221)/2011

प्रेषक,

राम केवल,
विशेष सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

सेनानायक,
राज्य आपदा मोचन बल,
उत्तर प्रदेश।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ: दिनांक: 22/09/2022

विषय:- वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य आपदा मोचन बल, उ०प्र०, लखनऊ में नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों का प्रशिक्षण कराए जाने हेतु राज्य आपदा मोचन निधि से धनावंटन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर सेनानायक, राज्य आपदा मोचन बल, उ० प्र०, के एड्ज्यू- 23/2022 दिनांक 06.05.2022 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा राज्य आपदा मोचन बल, उ०प्र०, लखनऊ में नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी को विभिन्न प्रकार की आपदाओं के दौरान होने वाली क्षति के दमन/न्यूनीकरण हेतु उनकी व्यावसायिक दक्षता में उत्तरोत्तर वृद्धि के लिए वाहिनी मुख्यालय एवं अन्य संस्थानों में विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण कराए जाने हेतु रुपये 1,01,92,790/- (रुपये एक करोड़ एक लाख बानबे हजार सात सौ नव्वे मात्र) की धनराशि स्वीकृत किये जाने का अनुरोध किया गया है, जिसका विवरण निम्नवत है:-

क्र० सं०	प्रशिक्षण का नाम	प्रशिक्षण प्रदाता संस्थान	प्रशिक्षुओं की संख्या	प्रशिक्षण अवधि(सप्ताह/दिवस में)	कुल अनुमानित व्यय (रु० में)	विवरण
1	एस० डी० आर० एफ० में नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी का सी० बी० आ० एन० /बेसिक/एडिशनल प्रशिक्षण	एन० डी० आर० एफ०	100	19 सप्ताह	10,00,000/-	रु० 10,000/- प्रति प्रशिक्षु दर से 10,000X100=10,00,000/-
2	स्कूबा डाइविंग प्रशिक्षण	कलिंगा डाइवर्स फाउण्डेशन	90	04 सप्ताह	44,08,290/-	रु० 48,981/- प्रति प्रशिक्षु दर से

		कटक(ओडिशा)				48,981X90= 44.08,290/-
3	रोप रेस्क्यू प्रशिक्षण	-	75	03 सप्ताह	18,90,000/-	रु० 25,200/- प्रति प्रशिक्षु दर से 25,200X72=18,9 0,000/-

एडवांस कोर्स

	1-टी० ओ० टी०- सी० एस० एस० आर० एस० एफ० आर०	एण्ड	100	05 सप्ताह	10,93,000/-	रु० 10,930/- प्रति प्रशिक्षु दर से 10,930X100=10,9 3,000/-
4	2-एम० ओ० टी०- सी० एस० एस० आर० एस० एफ० आर०	एण्ड एन० डी० आर० एफ०	50	01 सप्ताह	1,71,500/-	रु० 3,430/- प्रति प्रशिक्षु दर से 3,430X50=1,71,5 00/-
	3-टी० ओ० टी०-स्कूल सेफ्टी		50	23 दिवस	1,60,450/-	रु० 3,209/- प्रति प्रशिक्षु दर से 3,209X50=1,60,4 50/-
	4-टी० ओ० टी०- सी० बी० आर० एन०		50	04 सप्ताह	1,79,000/-	रु० 3,580/- प्रति प्रशिक्षु दर से 3,580X50=1,79,0 00/-
	5-एम० ओ० टी०- सी० बी० आर० एन०		30	02 सप्ताह	44,850/-	1,495/- प्रति प्रशिक्षु दर से 1,495X30=44,85 0/-
	6-बोरवेल रेस्क्यू प्रशिक्षण		100	03 दिवस	2,45,700/-	रु० 2,475/- प्रति प्रशिक्षु दर से 2,475X100=2,45, 700/-
योग (एडवांस कोर्स)					91,92,790/-	
5	आन्तरिक प्रशिक्षण एस० डी० आर० एफ०/मॉकड्रिल/ मेन्टीनेन्स	मुख्यालय एस० डी० आर० एफ०	300	-	10,00,000/-	उपकरण हेतु, ईंधन, मटेरियल आदि हेतु
सम्पूर्ण योग					1,01,92,790	

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनांक 06.09.2022 को सम्पन्न बैठक में लिए गए निर्णयानुसार राज्य आपदा मोचन बल, 50 प्र०, लखनऊ में नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों का प्रशिक्षण कराए जाने हेतु राज्य आपदा मोचक निधि से वित्तीय वर्ष 2022-23 में ₹० 1,01,92,790/- (रुपये एक करोड़ एक लाख बानबे हजार सात सौ नब्बे मात्र) की धनराशि निम्नलिखित विवरण तथा शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन सेनानायक, राज्य आपदा मोचन बल, 50 प्र० के निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्त / प्रतिबंधों

1. अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष सम्पन्न कराए जाने वाला कार्य राहत आयुक्त संगठन से समन्वय स्थापित कर नियमानुसार कराया जायेगा।
 2. स्वीकृति धनराशि का उपभोग वित्तीय नियमों के अनुसार तथा वित्तीय हस्त-पुस्तिका/ बजट मैनुअल के अनुसार किया जायेगा।
 3. इस सम्बंध में भारत सरकार द्वारा दिये गये मार्ग-निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा।
 4. समस्त धनराशि का उपभोग दिनांक- 31.03.2023 से पूर्व कर लिया जायेगा। यदि धनराशि अवशेष बचती है तो नियमानुसार दिनांक-31.03.2023 के पूर्व समर्पित कर दी जायेगी।
 5. जिस मद में धनराशि स्वीकृति की जा रही है उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा।
 6. उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र वित्तीय हस्त-पुस्तिका खण्ड-5 , भाग-1 के प्रस्तर -369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या -42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जायेगा।
 7. समस्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों की फोटोग्राफी/वीडियोग्राफी करायी जायेगी तथा प्रतिभागियों के नाम/पदनाम, जिला/मोबाइल नम्बर आदि के साथ सम्पूर्ण विवरण शासन को प्रस्तुत किया जायेगा।
 8. व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।
- 3- इस सम्यन्ध में होने वाला व्यय रुपये 1,01,92,790/- (रुपये एक करोड़ एक लाख बानबे हजार सात सौ नब्बे मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-2023 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 051 लेखा शीर्षक 2245058000611 से राहत हेतु स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से व्यय मानक मद 42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय जाप संख्या-13/ 2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07 जून, 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(राम केवल)
विशेष सचिव।

संख्या:-1801(1)/एक-10-2022-33(221)/2011 तद्दिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, 30 प्र०, प्रयागराज।
- 2- सेनानायक, राज्य आपदा मोचन बल, 30 प्र०, लखनऊ।
- 3- अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, 30 प्र० राज्य आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण।
- 4- विशेष सचिव/नोडल अधिकारी बजट आवंटन(ई-बजट), राजस्व विभाग 30 प्र०।
- 5- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त संगठन, 30 प्र०।
- 6- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5।
- 8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

मनोज कुमार सिंह
(मनोज कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2022-2023
आवंटन दिनांक-22/09/2022

प्रेषण संख्या:- 1801
आवंटन आदेश संख्या:- 001-1801

अनुदान संख्या:- 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2022-2023 का आवंटन)

लेखाशीर्षक:- 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेत्तर-मतदेय)
05 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड
800 - अन्य व्यय
06 -
11 - स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से सामान्य व्यय
(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
1	लखनऊ कलेक्ट्रेट -2563-सेनानायक आपदा मोचन बल , लखनऊ-02-एसडीआरएफ	वर्तमान प्रगामी	10192790 636798237	10192790 636798237
	योग	वर्तमान प्रगामी	10192790 636798237	10192790 636798237

महायोग- (वर्तमान आवंटन):-

रूपया एक करोड़ एक लाख बानवे हजार सात सौ नब्बे

महायोग- (प्रगामी आवंटन):-

रूपया तिरेसठ करोड़ सरसठ लाख अठानवे हजार दो सौ सैंतीस


(अखिलेश प्रताप सिंह)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
(अखिलेश प्रताप सिंह)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
राहत आयुक्त कार्यालय
उ० प्र० शासन ।